भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5206
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण

5206. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है तथा राज्य-वार सरकारी स्वामित्व वाले, किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्न भंडारण हेतु आपूर्ति-मांग में राज्य-वार कितना अंतर है तथा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज खराब होने, कीट लगने या गुणवत्ता में गिरावट के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(घ.) राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त भंडारण क्षमता के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनके अनुमोदन, लंबित होने अथवा विचाराधीन होने की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ड.) आधुनिक साइलो-आधारित भंडारण प्रणालियों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा केन्द्र सरकार की पहल के अन्तर्गत कितने साइलो का निर्माण और प्रचालन किया गया है; और

(च) भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण, रसद में सुधार और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की बर्बादी को न्यूनतम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): एफसीआई पीडीएस प्रचालन के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडारण करता है। दिनांक 01.02.2025 की स्थिति के अनुसार, एफसीआई के पास उपलब्ध कुल कवर्ड भंडारण क्षमता 436.54 लाख टन (स्वयं की-147.10 लाख टन + किराए पर ली गई- 289.44 लाख टन) और देश भर में केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों के पास 370.40 लाख टन क्षमता उपलब्ध है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

दिनांक 01.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के 2247 गोदाम (स्वयं के- 570 और किराए पर लिए गए - 1677) वर्तमान में प्रचालित हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) से (घ): आंध्र प्रदेश एक विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है। डीसीपी राज्य में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण राज्य सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। कम खरीद के मामले में एफसीआई प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें यह स्टॉक को शामिल करके कमी को पूरा करता है या अधिक खरीद के मामले में अतिरिक्त स्टॉक को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता है। दिनांक 01.02.2025 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय पूल स्टॉक के भंडारण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में कवर्ड भंडारण क्षमता 28.70 लाख टन {एफसीआई की 11.54 लाख टन क्षमता (स्वयं की-8.64 लाख टन+किराए पर ली गई-2.90 लाख टन) और राज्य एजेंसियों की 17.16 लाख टन क्षमता} है।

एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्न (चावल और गेहूं) के खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। एफसीआई भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा आवश्यकता और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में निम्नानुसार स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमता सृजित की जाती है/किराए पर ली जाती है:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
3. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम"
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी वेयरहाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस)
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

इसके अलावा, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एफसीआई गोदामों में अनाज खराब होने, कीट संक्रमण या गुणवत्ता में गिरावट की घटनाओं के साथ-साथ की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ड.): भंडारण सुविधाओं को उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति पर स्टील साइलो के निर्माण के लिए कार्य योजना अनुमोदित की है। सर्किट बेस मॉडल के तहत 5.5 लाख टन क्षमता के साइलो का निर्माण पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2007-09 से उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, रेल/रोड लिंक्ड योजना के तहत 17.75 लाख टन क्षमता वाले साइलो का निर्माण पूरा कर लिया गया है। स्थान-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(च): अपनी भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ और अद्यतन बनाए रखने के लिए, एफसीआई आधुनिकीकरण के विभिन्न कदम उठा रहा है। विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

*****

(अनुबंध- I)

लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.02.2025 तक एफसीआई और राज्य सरकार एजेंसियों के साथ केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व/किराए पर) (कवर्ड और सीएपी)						कुल (स्वामित्व+ किराए पर)	खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण समितियों (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) सहित राज्य एजेंसियों की कुल भंडारण क्षमता			सकल योग		
			कवर्ड		सीएपी		कुल		कवर्ड और सीएपी	राज्य एजेंसियां			कवर्ड	सीएपी	कवर्ड और सीएपी
			स्वयं की	किराए के	स्वयं की	किराए के	कवर्ड	सीएपी		कवर्ड	सीएपी	कुल			
पूर्व	1	बिहार	3.45	8.03	0.00	0.00	11.47	0.00	**11.47**	10.13	0.00	10.13	21.60	0.00	**21.60**
	2	झारखंड	0.89	3.82	0.00	0.00	4.71	0.00	**4.71**	1.78	0	1.78	6.49	0.00	**6.49**
	3	ओडिशा	3.65	2.82	0.00	0.00	6.47	0.00	**6.47**	6.12	0	6.12	12.59	0.00	**12.59**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	0.92	0.00	0.00	10.45	0.00	**10.45**	9.66	0	9.66	20.11	0.00	**20.11**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.11	0	0.11	0.23	0.00	**0.23**
कुल पूर्वी अंचल			**17.63**	**15.58**	**0.00**	**0.00**	**33.21**	**0.00**	**33.21**	**27.80**	**0**	**27.80**	**61.01**	**0.00**	**61.01**
उत्तर पूर्व	6	असम	3.74	1.57	0.00	0.00	5.31	0.00	**5.31**	0.00	0	0.00	5.31	0.00	**5.31**
	7	अरुणाचल पीडी	0.41	0.01	0.00	0.00	0.42	0.00	**0.42**	0.00	0	0.00	0.42	0.00	**0.42**
	8	मेघालय	0.20	0.25	0.00	0.00	0.44	0.00	**0.44**	0.00	0	0.00	0.44	0.00	**0.44**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	0.41	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.19	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.68	0	0.68	1.30	0.00	**1.30**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	0.00	0.65	0.00	**0.65**
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	0.08	0.65	0.00	**0.65**
कुल उत्तर पूर्व अंचल			**6.16**	**2.17**	**0.00**	**0.00**	**8.33**	**0.00**	**8.33**	**1.17**	**0**	**1.17**	**9.50**	**0.00**	**9.50**
उत्तर	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	0.00	3.28	0.00	**3.28**
	14	हरियाणा	8.75	51.37	2.88	0.00	60.12	2.88	**63.00**	42.91	8.46	51.37	103.03	11.34	**114.37**
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.73	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	0.00	0	0.00	1.00	0.00	**1.00**
	16	जम्मू और कश्मीर	0.95	1.53	0.00	0.00	2.48	0.00	**2.48**	0.00	0	0.00	2.48	0.00	**2.48**
	17	लद्दाख	0.25	0.07	0.00	0.00	0.31	0.00	**0.31**	0.00	0	0.00	0.31	0.00	**0.31**
	18	पंजाब	27.17	106.53	3.31	0.00	133.70	3.31	**137.01**	48.62	41.61	90.23	182.32	44.92	**227.24**
	19	चंडीगढ़	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	0.00	0.09	0.00	**0.09**
	20	राजस्थान	8.52	8.94	0.60	0.00	17.45	0.60	**18.05**	0.00	0	0.00	17.45	0.60	**18.05**
	21	उत्तर प्रदेश	15.68	38.91	0.00	0.00	54.59	0.00	**54.59**	0.00	0	0.00	54.59	0.00	**54.59**
	22	उत्तराखंड	0.73	1.25	0.00	0.00	1.98	0.00	**1.98**	1.88	0	1.88	3.86	0.00	**3.86**
कुल उत्तर अंचल			**65.59**	**209.41**	**6.79**	**0.00**	**275.00**	**6.79**	**281.79**	**93.41**	**50.07**	**143.48**	**368.41**	**56.86**	**425.27**
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	8.64	2.90	0.00	0.00	11.54	0.00	**11.54**	17.16	0	17.16	28.70	0.00	**28.70**
	24	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	0.16	0.23	0.00	**0.23**
	25	तेलंगाना	6.68	14.09	0.00	0.00	20.77	0.00	**20.77**	7.80	0	7.80	28.57	0.00	**28.57**
	26	केरल	5.89	0.09	0.00	0.00	5.98	0.00	**5.98**	1.89	0	1.89	7.87	0.00	**7.87**
	27	कर्नाटक	4.60	5.53	0.00	0.00	10.13	0.00	**10.13**	0.00	0	0.00	10.13	0.00	**10.13**
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	0.00	0.03	0.00	**0.03**
	29	तमिलनाड	6.46	6.02	0.00	0.00	12.48	0.00	**12.48**	8.92	0	8.92	21.40	0.00	**21.40**
	30	पुडुचेरी	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	0.00	0.51	0.00	**0.51**
कुल दक्षिण अंचल			**32.87**	**28.63**	**0.00**	**0.00**	**61.50**	**0.00**	**61.50**	**35.93**	**0**	**35.93**	**97.43**	**0.00**	**97.43**
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	4.41	0.00	0.00	9.34	0.00	**9.34**	0.56	0	0.56	9.90	0.00	**9.90**
	32	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	33	महाराष्ट्र	9.23	8.99	0.00	0.00	18.22	0.00	**18.22**	6.98	0	6.98	25.20	0.00	**25.20**
	34	गोवा	0.19	0.06	0.00	0.00	0.25	0.00	**0.25**	0.00	0	0.00	0.25	0.00	**0.25**
	35	मध्य प्रदेश	4.18	6.90	0.00	0.00	11.08	0.00	**11.08**	189.16	0.00	189.16	200.24	0.00	**200.24**
	36	छत्तीसगढ	6.32	13.30	0.00	0.00	19.61	0.00	**19.61**	15.39	0	15.39	35.00	0.00	**35.00**
कुल पश्चिमी अंचल			**24.85**	**33.65**	**0.00**	**0.00**	**58.50**	**0.00**	**58.50**	**212.09**	**0.00**	**212.09**	**270.59**	**0.00**	**270.59**
कुल योग			**147.10**	**289.44**	**6.79**	**0.00**	**436.54**	**6.79**	**443.33**	**370.40**	**50.07**	**420.47**	**806.94**	**56.86**	**863.80**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 1 फरवरी, 2025 तक एफसीआई के पास उपलब्ध भंडारण इकाई की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	क्षेत्र	एफसीआई के स्वयं के	एफसीआई द्वारा किराए पर लिए गए एवं प्रबंधित								कुल एफसीआई (स्वयं के+किराए पर)
			सीडब्ल्यूसी	राज्य सरकार	एसडब्ल्यूसी	पीईजी	साइलो किराए पर	पीडब्ल्यूएस 2010	अन्य/ निजी पार्टियाँ	कुल किराए के	
1	बिहार	11	9	1	28	16	2	5	3	64	75
2	झारखण्ड	7	3	0	6	21	0	9	1	40	47
3	ओडिशा	19	6	2	13	0	0	0	0	21	40
4	पश्चिम बंगाल	22	2	0	1	0	1	1	1	6	28
5	सिक्किम	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2
कुल पूर्वी अंचल		**60**	**20**	**4**	**48**	**37**	**3**	**15**	**5**	**132**	**192**
6	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	1	0	0	0	2	3	17
7	असम	21	3	0	4	1	1	0	5	14	35
8	मणिपुर	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
9	नागालैंड	5	1	0	0	0	0	0	0	1	6
10	मेघालय	4	0	0	3	2	0	0	0	5	9
11	मिजोरम	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
12	त्रिपुरा	5	1	1	1	0	0	0	0	3	8
कुल पूर्वोत्तर अंचल		**64**	**5**	**1**	**9**	**3**	**1**	**0**	**7**	**26**	**90**
13	दिल्ली	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
14	हरियाणा	35	13	6	85	92	6	6	2	210	245
15	हिमाचल प्रदेश	9	3	0	1	7	0	0	2	13	22
16	जम्मू और कश्मीर	12	1	1	0	10	0	2	0	14	26
17	लद्दाख	4	0	0	0	2	0	0	0	2	6
18	पंजाब	121	22	1	244	167	7	1	18	460	581
19	चंडीगढ़	0	6	0	0	0	0	0	0	6	6
20	राजस्थान	39	14	0	18	3	0	76	0	111	150
21	उत्तर प्रदेश	49	29	6	112	61	2	2	1	213	262
22	उत्तराखंड	4	5	0	11	1	0	0	0	17	21
कुल उत्तर अंचल		**279**	**93**	**14**	**471**	**343**	**15**	**87**	**23**	**1046**	**1325**
23	आंध्र प्रदेश	22	3	0	19	0	0	0	0	22	44
24	अंडमान और निकोबार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	कर्नाटक	21	7	0	22	2	1	7	0	39	60
26	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	केरल	23	1	0	0	0	0	0	0	1	24
28	तमिलनाडु	10	8	1	12	4	2	1	0	28	38
29	पदुचेरी	4	2	0	2	0	0	0	0	4	8
30	तेलंगाना	11	8	1	46	1	0	16	0	72	83
कुल दक्षिण अंचल		**93**	**29**	**2**	**101**	**7**	**3**	**24**	**0**	**166**	**259**
31	छत्तीसगढ़	21	8	3	69	3	0	1	1	85	106
32	गुजरात	14	10	2	0	0	3	6	3	24	38
33	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	मध्य प्रदेश	25	2	0	144	1	0	1	1	149	174
35	महाराष्ट्र	13	5	0	25	2	1	15	1	49	62
36	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कुल पश्चिमी अंचल		**74**	**25**	**5**	**238**	**6**	**4**	**23**	**6**	**307**	**381**
कुल योग		570	172	26	867	396	26	149	41	1677	2247

लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के भाग (ख) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एफसीआई वेयरहाउसों में अनाज खराब होने, कीट संक्रमण या गुणवत्ता में गिरावट की घटनाओं का विवरण और की गई कार्रवाई

क्र. सं.	अंचल का नाम	वर्ष	क्षेत्र का नाम	शिकायत की तिथि	शिकायतों की प्रकृति (अर्थात एफसीआई वेयरहाउसों में अनाज का खराब होना/कीटों का संक्रमण/गुणवत्ता में गिरावट)	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्रवाई
1	दक्षिण	शून्य					
2	पश्चिम	शून्य					
3	उत्तर-पूर्व	शून्य					
4	पूर्व	शून्य					
5	दक्षिण	2020-21	पंजाब	शून्य			
6		2021-22		23.03.2022	कीट से संबंधित	पटियाला के ओमेक्स सिटी में घुन का हमला	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
7		2022-23		11.07.2022	कीट से संबंधित	कोटकपुरा के एफसीआई गोदाम में सूसरी की समस्या	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
8		2022-23		21.07.2022	कीट से संबंधित	पटियाला के सरहिंद रोड पर एफसीआई गोदामों से सूसरी/कीट के कारण खतरा	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
9		2022-23		12.08.2022	कीट से संबंधित	बानूर में एफसीआई	स्टॉक को कीट मुक्त

						डिपो से सूसरी के उड़ने के बारे में	बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
10		2023-24		03.08.2023	कीट से संबंधित	घरों में 4-5 महीने से सूसरी का प्रकोप	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
11		2023-24		14.09.2023	कीट से संबंधित	एफसीआई डिपो (चिनार्थल डिपो) से सूसरी आने से समस्या	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
12		2023-24		03.10.2023	कीट से संबंधित	नाभा के हीरा एन्क्लेव में गेहूं बीटल की समस्या	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
13		2023-24		01.11.2023	कीट से संबंधित	सुनाम के इलाके में लाल गेहूं बीटल (सूसरी)	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
14		2024-25		14.06.2024	कीट से संबंधित	आवासीय क्षेत्र में कीटों की समस्या	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
15		2024-25		15.06.2024	कीट से संबंधित	सूसरी कीट के बारे में	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
16		2024-25		15.06.2024	कीट से संबंधित	सूसरी कीट के बारे में	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और

							तदनुसार सूचित किया गया
17		2024-25		जुलाई-24	कीट से संबंधित	सूसरी कीट के बारे में	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
18		2024-25		20.08.2024	कीट से संबंधित	आवासीय क्षेत्र में आटा बीटल (सूसरी) कीट का प्रकोप	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया
19		2024-25		10.09.2024	कीट से संबंधित	सूसरी के कारण खतरा	स्टॉक को कीट मुक्त बनाकर समाधान किया गया और तदनुसार सूचित किया गया

*****

लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के भाग (ङ.) में उल्लिखित अनुबंध।

(क) वर्ष 2007-08 में सर्किट आधारित मॉडल स्थापित किया गया:

क्र. सं.	राज्य	स्थान	क्षमता (लाख टन में)	डिपो के प्रकार	सर्किट
1	पंजाब	मोगा	2.00	बेस	सर्किट-I
2	तमिलनाडु	चेन्नई	0.25	फील्ड	
3	तमिलनाडु	कोयंबटूर	0.25	फील्ड	
4	कर्नाटक	बैंगलोर	0.25	फील्ड	
5	हरियाणा	कैथल	2.00	बेस	सर्किट-II
6	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	0.50	फील्ड	
7	पश्चिम-बंगाल	हुगली	0.25	फील्ड	
कुल			**5.50**		

(ख) रेल/रोड संपर्क के अंतर्गत पूर्ण हो चुके और अधिग्रहित साइलो की स्थानवार सूची

क्र. सं.	राज्य	स्थान	एजेंसी (एफसीआई/राज्य सरकार)	क्षमता (लाख टन में)
1	पंजाब	कोटकपुरा	एफसीआई	0.25
2	पंजाब	बरनाला	एफसीआई	0.50
3	पंजाब	पटियाला	एफसीआई	0.50
4	पंजाब	संगरूर	एफसीआई	1.00
5	पंजाब	सुनाम	राज्य सरकार	0.50
6	पंजाब	मलेरकोटला	राज्य सरकार	0.50
7	पंजाब	अहमदगढ़	राज्य सरकार	0.50
8	**पंजाब**	भगतांवाला	राज्य सरकार	0.50
9	पंजाब	बटाला	एफसीआई	0.50
10	पंजाब	साहनेवाल	एफसीआई	0.50
11	पंजाब	छेहरेटा	एफसीआई	0.50
12	हरियाणा	भट्टू	एफसीआई	0.50
13	हरियाणा	जींद	एफसीआई	0.50

14	हरियाणा	सोनीपत	एफसीआई	0.50
15	हरियाणा	पानीपत	एफसीआई	0.50
16	हरियाणा	रोहतक	एफसीआई	0.50
17	गुजरात	अहमदाबाद	एफसीआई	0.50
18	गुजरात	बड़ौदा	एफसीआई	0.50
19	गुजरात	अमरेली	एफसीआई	0.50
20	बिहार	समस्तीपुर	एफसीआई	0.50
21	बिहार	दरभंगा	एफसीआई	0.50
22	बिहार	कटिहार	एफसीआई	0.50
23	असम	चांगसारी	एफसीआई	0.50
24	मध्य प्रदेश	हरदा	राज्य सरकार	0.50
25	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	राज्य सरकार	0.50
26	मध्य प्रदेश	देवास	राज्य सरकार	0.50
27	मध्य प्रदेश	सतना	राज्य सरकार	0.50
28	मध्य प्रदेश	सीहोर	राज्य सरकार	0.50
29	मध्य प्रदेश	उज्जैन	राज्य सरकार	0.50
30	मध्य प्रदेश	विदिशा	राज्य सरकार	0.50
31	मध्य प्रदेश	भोपाल	राज्य सरकार	0.50
32	मध्य प्रदेश	इंदौर	राज्य सरकार	0.50
33	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	एफसीआई	0.50
34	उत्तर प्रदेश	धमोरा	एफसीआई	0.50
35	उत्तर प्रदेश	बस्ती	एफसीआई	0.50
	कुल			**17.75**

*****

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के भाग 'च' के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अपनी भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ और अद्यतन रखने के लिए एफसीआई द्वारा उठाए गए आधुनिकीकरण कदम :

1. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण:

बल्क हैंडलिंग सुविधा के साथ स्टील साइलो भंडारण, अधिक मात्रा में खाद्यान्न भंडारण का अत्यधिक मशीनीकृत और आधुनिक तरीका है। यह खाद्यान्न के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करता है और इसकी शेल्फ अवधि को बढ़ाता है। यदि खाद्यान्न को साइलो में भंडारित किया जाता है और थोक में परिवहन किया जाता है, तो पारंपरिक वेयरहाउसों में बैग में खाद्यान्न भंडारण की तुलना में चोरी, लूट और परिवहन के कारण होने वाले नुकसान नगण्य होंगे। स्टील साइलो का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत किया जाता है।

2. भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के माध्यम से एफसीआई द्वारा वेयरहाउसों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

एफसीआई द्वारा प्रचालित सभी वेयरहाउसों का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन क्यूसीआई के माध्यम से किया गया, जिसमें भौतिक अवसंरचना, एसओपी का अनुपालन, संरक्षा मानक और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्किंग जैसे क्षेत्र शामिल थे। तदनुसार, सभी वेयरहाउसों की ग्रेडिंग छह श्रेणियों अर्थात् "उत्कृष्ट, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार" में की गई।

क्यूसीआई फीडबैक के आधार पर, एफसीआई ने एसओपी पर फिर से विचार किया/संशोधित किया। वेयरहाउसों के उन्नयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। एफसीआई द्वारा अल्पकालिक और मध्यम अवधि की कमियों को दूर किया गया। फिर से क्यूसीआई द्वारा मूल्यांकन का दूसरा चरण शुरू किया गया। एफसीआई ने वेयरहाउसों को और उन्नत किया है। एफसीआई के स्वयं के 556 गोदामों का सारांश निम्नानुसार है: -

5 स्टार और उससे अधिक श्रेणी वाले डिपुओं की संख्या		
प्रथम क्यूसीआई मूल्यांकन	द्वितीय क्यूसीआई मूल्यांकन	उन्नयन के बाद
102	382	479

उन्नयन के बाद एफसीआई के स्वयं के 479 डिपो 5 स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी में आते हैं, जबकि क्यूसीआई द्वारा किए गए प्रथम मूल्यांकन में यह संख्या 102 थी।

इसके अलावा, बुनियादी अवसंरचना की दक्षता (डिपो की ग्रेडिंग) की निगरानी के लिए डिपो स्व-मूल्यांकन पोर्टल विकसित किया जा रहा है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

3. वेयरहाउस प्रचालन का मशीनीकरण:

नए अनुबंधों के लिए दिनांक 11.04.2023 से लागू संशोधित हैंडलिंग और परिवहन निविदाओं में अनिवार्य मशीनीकृत हैंडलिंग का प्रावधान लागू किया गया है, ताकि प्रचालन में नवाचार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। मॉडल निविदा फॉर्म (एमटीएफ) प्रावधान के अनुसार ठेकेदार को अनिवार्य रूप से उसी उद्धृत मूल्य पर **लोडिंग/अनलोडिंग प्रचालन के लिए आधुनिक तकनीक** का प्रयोग अपने खर्च पर करना होगा। ठेकेदार को अनिवार्य रूप से मशीनीकृत लोडिंग/अनलोडिंग पॉइंट प्रदान करने होंगे:

गोदाम की क्षमता	**ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से मशीनीकृत लोडिंग/अनलोडिंग पॉइंट उपलब्ध कराए जाएंगे (न्यूनतम आवश्यकता)**
20000 टन तक	1
20000 से 40000 टन	2
40000 टन से ऊपर	3

उपरोक्त के अतिरिक्त ठेकेदार के पास डिपो में सभी लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट्स के लिए स्वयं के खर्च पर आधुनिक तकनीक लाने का विकल्प होगा, जो कि समान उद्धृत मूल्य पर उपलब्ध होगी। यदि ठेकेदार उपरोक्त दिए गए अधिदेश के अनुसार मशीनीकृत समाधान प्रदान नहीं करता है, तो निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

4. डिपो प्रचालन का कम्प्यूटरीकरण

I. डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस) के माध्यम से डिपो के प्रचालन को डिजिटीकृत बनाया गया, जिससे सभी लेन-देन डिजिटल रूप से सत्यापित और ट्रेस करने योग्य हो गए। यह देश भर के डिपुओं में होने वाले डाटा और लेन-देन की वास्तविक समय में निगरानी भी प्रदान करता है।

II. डीओएस सीधे धर्मकांटा (वेब्रिज) से वजन कैप्चर करता है, जिससे स्टॉक के वजन की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होती है।

5. डिपो दक्षता की निगरानी: डिपो स्तर पर प्रचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के लिए, वित्तीय लेखांकन पैकेज से डाटा प्राप्त करने वाले डिपुओं की रेटिंग के लिए एक मॉडल विकसित करने की पहल की गई है। डिपो की प्रचालन दक्षता को लागत मापदंडों अर्थात चावल में भंडारण हानि, चावल में पारगमन हानि, गेहूं में पारगमन हानि, विलंब शुल्क, डिपो की हैंडलिंग लागत, कर्मचारियों पर स्थापना लागत, कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम भत्ते (ओटीए), विभिन्न प्रकार के गोदाम, श्रम प्रकार [विभागीय/प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली (डीपीएस)/नो वर्क नो पे (एनडब्ल्यूएनपी)/अनुबंध] के आधार पर निर्धारित की जाती है। जानकारी को कैप्चर करने के साथ-साथ डाटा विज़ुअलाइज़ेशन के साथ एक इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल भी लगाया गया है। डिपो के प्रदर्शन का आकलन और तुलना करने के लिए पदानुक्रम के सभी स्तरों पर इसका उपयोग किया जा सकता है।

अब, डिपो दक्षता ग्रेडिंग को डिपो स्व-मूल्यांकन पोर्टल-डीएसएपी (डिपो दर्पण) के साथ एकीकृत किया जा रहा है और इसके लिए (बुनियादी सुविधाओं और प्रचालन दक्षता की रेटिंग/ग्रेडिंग के लिए) एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

*****